

Right of Children to Free & Compulsory Education बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

86th Constitutional Amendment, 2002

- Art 21-A inserted in Fundamental Rights
- The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the State may, by law, determine.
- Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 notified on 27th Aug. 2009
- The act will be in force from 1st of April 2010

86th संवैधानिक संशोधन, 2002

- मौलिक अधिकारों में शामिल अनुच्छेद 21-ए
- राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य, कानून द्वारा, निर्धारित करे।
- बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा <mark>का अधिकार</mark> अधिनिय<mark>म 2009 2</mark>7 अगस्त 2009 को अधिसूचित किया गया
- अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हो<mark>गा</mark>

The Act: Child rights

- Defines 'free' as **removal of any financial barrier** by the state that prevents a child from completing eight years of schooling
- Compulsory means- compulsory admission, attendance, and completion of EE.
- And defines 'compulsion' as a **compulsion on the state/ local bodies**, rather than targeting parents, the fundamental duty of parents to send children to schools
- Not enrolled/dropout children be admitted to age-appropriate class
- Special training to enable such children to be at par with others
- A child so admitted entitled to completion of EE even after age 14
- Softens barriers like birth certificate, transfer certificate, etc
- No child shall be psychologically abused by calling him/her 'failed' in any class up to class 8, or expelling him/her from school
- Bars corporal punishment, mental harassment
- Provide education facility in the neighborhood within 3 years

अधिनियम: बाल अधिकार

- "मुक्त" को राज्य द्वारा किसी भी वित्तीय बाधा को दूर करने के रूप में परिभाषित करता है जो एक बच्चे को आठ साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने से रोकता है
- अनिवार्य साधन- अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और ईई का पूरा होना।
- और "मजबूरी" को माता-पिता को लक्षित करने के बजाय राज्य / स्थानीय निकायों पर मजबूरी के रूप में परिभाषित करता है, बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए माता-पिता का मौलिक कर्तव्य
- नामांकित नहीं/ बीच में छोड़ चुके बच्चों को उपयुक्त आयु वर्ग में प्रवेश दिया जाए

- ऐसे बच्चों को दूसरों के समान बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण
- इस प्रकार भर्ती हुआ बच्चा 14 वर्ष की आयु के बाद भी ईई पूरा करने का हकदार है
- जन्म प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आदि जैसी बाधाओं को नरम करता है
- किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में 'असफल' कहकर या उसे स्कूल से निकालकर उसका मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा।
- शारीरिक दंड पर रोक, मानसिक प्रताड़ना
- 3 साल के भीतर पड़ोस में शिक्षा की सुविधा प्रदान करें

Teachers

- Qualification for appointment of teachers to be laid down by academic authority authorized by **Central Government**
- Lays down academic responsibilities of teachers
- Prohibits private tuition by teachers
- Prohibits deployment of teachers for non-education purpose, except decennial census, disaster relief, and elections

शिक्षक

- ंशिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता केंद्र सर<mark>कार द्वारा अधिकृत शैक्ष</mark>णिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी
- शिक्षकों की शैक्षणिक जिम्मेदारियां निर्धा<mark>रित करता है</mark>
- शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन को प्रतिबंधित करता है
- दस साल की जनगणना, आपदा रा<mark>हत और च</mark>ुनाव को छोड़कर<mark>, गैर-शिक्षा</mark> उद्देश्य के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाता है

PTR

Requirement of additional teachers to maintain PTR - within 6 months

| At primary level | | |
|----------------------------|--|--|
| Admitted children Up to 60 | Two | |
| Between 61 to 90 | Three | |
| Between 91 to 120 | Four | |
| Between 121 to 200 | Five | |
| Above 150 | 5 teachers + one Headteacher | |
| Above 200 | Pupil-Teacher Ratio 1:40 (excluding Headteacher) | |

PTR

पीटीआर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता - 6 महीने के भीतर

| प्राथमिक स्तर पर | | |
|----------------------|--|--|
| 60 तक के बच्चे भर्ती | दो | |
| 61 से 90 के बीच | तीन | |
| 91 से 120 के बीच | चार | |
| 121 से 200 के बीच | पांच | |
| 150 से ऊपर | 5 शिक्षक + एक प्रधान शिक्षक | |
| 200 से ऊपर | छात्र-शिक्षक अनुपात 1:40 (प्रधान शिक्षक को छोड़कर) | |

At the upper Upper primary level

At least one teacher per class so that class there shall be at least one teacher each for

- Science and Mathematics:
- Social Studies:
- Languages

At least one teacher for every thirty-five children.

Where the admission of children is above one hundred

- a full-time head-teacher:
- part-time instructors for -
- (a) Art Education;
- (b) Health and Physical Education;
- (c) Work Education.

उच्च प्राथमिक स्तर पर

प्रति कक्षा कम से कम एक शिक्षक ताकि कक्षा में प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो

- विज्ञान और गणित:
- सामाजिक अध्ययन;
- भाषाएं.
- प्रत्येक पैंतीस बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक।
- जहां बच्चों का प्रवेश सौ से ऊपर हो
- (i) पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक;
- (ii) अंशकालिक प्रशिक्षकों के लिए -
- (ए) कला शिक्षा;
- (बी) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा;
- (सी) कार्य शिक्षा.

Minimum number of working days

| Working Days in an academic year | | | | |
|---|--------------|------------|--|--|
| (i) | Class 1 to 5 | 200 days | | |
| (ii) | Class 6 to 8 | 220 days | | |
| Instructional hours in an academic year | | | | |
| (i) | Class 1 to 5 | 800 hours | | |
| (ii) | Class 6 to 8 | 1000 hours | | |

कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या

| एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस | | | |
|--|--------------|-----------|--|
| (i) | कक्षा 1 से 5 | 200 दिन | |
| (ii) | कक्षा 6 से 8 | 220 दिन | |
| एक शैक्षणिक वर्ष में निर्देशात्मक घंटे | | | |
| (i) | कक्षा 1 से 5 | 800 घंटे | |
| (ii) | कक्षा 6 से 8 | 1000 घंटे | |

Curriculum

- Curriculum by the prescribed academic authority should:
- Conform to constitutional values
- Make child free from fear, trauma, and anxiety
- Be child-centered, child friendly; provide for learning through activities, discovery, and exploration
- Medium of instruction child mother tongue to the extent possible
- Provide for comprehensive and continuous evaluation
- No Board examinations till completion of EE

पाठ्यचर्या

निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा पाठ्यचर्या :

- संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए
- बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाना चाहि<mark>ए</mark>
- बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों के अनुकुल होन<mark>ा चाहिए; गति</mark>विधियों, खोज और अन्वेषण के माध्यम से सीखने के लिए प्रदान करें
- िशिक्षा का माध्यम होना चाहिए जहाँ तक <mark>संभव हो बच्चे की मातृभाषा</mark>
- व्यापक और सतत मूल्यांकन प्रदान करना चाहिए
- EE के पूरा होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होनी चाहिए

Appropriate Government, Local Authority

- Ensure free and compulsory education
- Provide schools in neighborhood within 3 years
- Children belonging to weaker sections and disadvantaged groups not be discriminated against
- Infrastructure, school building, teaching staff, learning equipment
- maintain records of children up to the age of fourteen years residing within its jurisdiction, in such manner as may be prescribed;
- Special training for previously not enrolled or drop-out children to enable them to be at par with others
- Monitoring of admission, attendance, completion of EE

उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण

- निःश्ल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करें
- 3 साल के भीतर पड़ोस में स्कूल उपलब्ध कराएं
- कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए
- इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ, लर्निंग इक्किपमेंट
- अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों का रिकॉर्ड इस तरह से बनाए रखना, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
- पहले नामांकित नहीं हुए या स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण ताकि वे दूसरों के समकक्ष बन सकें
- प्रवेश, उपस्थिति, EE के पूरा होने की निगरानी

Responsibilities for State Govt. & local authorities

- Good quality EE conforming to specified norms and standards
- Timely prescription of curriculum, courses of study, teachers' training

राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के लिए जिम्मेदारियां

- निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता वाला ईई
- पाठ्यक्रम का समय पर निर्धारण, अध्ययन के पाठ्यक्रम, शिक्षकों का प्रशिक्षण

Additional Responsibilities for local authorities

- ensure admission of children of migrant families;
- monitor the functioning of schools within its jurisdiction; and
- decide the academic calendar.

स्थानीय अधिकारियों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां

- प्रवासी परिवारों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना;
- अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूलों के कामकाज की नि<mark>गरानी करना; त</mark>था
- शैक्षणिक कैलेंडर तय करें।

Teacher's Academic Responsibility

- maintain regularity and punctuality in attending school;
- conduct and complete the curriculum in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 29;
- the complete entire curriculum within the specified time;
- assess the learning ability of each child and accordingly supplement
- additional instructions, if any, as required;
- hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about
- the regularity in attendance, ability to learn, progress made in learning and any
- other relevant information about the child; and
- perform such other duties as may be prescribed.

शिक्षक की शैक्षणिक जिम्मेदारी

- स्कूल जाने में नियमितता और समयपालन बनाए रखना;
- धारा 29 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम का संचालन और पूरा करना;
- पूरे पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करें;
- प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करें और तदन्सार पुरक करें
- अतिरिक्त निर्देश, यदि कोई हो, आवश्यकतानुसार;
- माता-पिता और अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें करें और उन्हें इस बारे में अवगत कराएं
- उपस्थिति में नियमितता, सीखने की क्षमता, सीखने में हुई प्रगति और कोई भी
- बच्चे के बारे में अन्य प्रासंगिक जानकारी; तथा
- ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो निर्धारित किए जा सकते हैं.

Protection of Right

- Act assigns NCPCR/SCPCR additional functions
- Examine and review safeguards for rights under this Act, recommend measures for effective implementation
- Inquire into complaints relating to child's right to free and compulsory education
- NCPCR/SCPCR have powers assigned under Section 14 and 24 of the Commissions for Protection of Child Rights Act
- Where SCPCR not constituted, appropriate Government may constitute an Authority

अधिकार का संरक्षण

- अधिनियम NCPCR/SCPCR को अतिरिक्त कार्य सौंपता है
 - 1. इस अधिनियम के तहत अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करें, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें
 - 2. बच्चे के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करना
- NCPCR/SCPCR के पास बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 14 और 24 के तहत प्रदत्त शक्तियां हैं
- जहां SCPCR का गठन नहीं किया गया है, वहां उपयुक्त सरकार एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है

